Policy
Mandatory
December 2013

Po

Nestlé
Good Food, Good Life

नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता

December 2013

Policy
Mandatory
December 2013

Po

Issuing Function
Corporate Procurement

Target audience
Suppliers and co-manufacturers to Nestlé,
Nestlé Procurement

Approver
Executive Board, December 2013

Repository
All Nestlé Principles and Policies, Standards and Guidelines can be found in the Centre online repository at:
http://intranet.nestle.com/nestledocs
The Nestlé Supplier Code can also be found at:
www.nestle.com/suppliers

Copyright and confidentiality
All rights belong to Nestec Ltd., Vevey, Switzerland.
© 2013, Nestec Ltd.

Design
Nestec Ltd., Corporate Identity & Design,
Vevey, Switzerland

नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता का परिचय

1. उद्देश्य
नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता (“संहिता”) गैर समझौतायोग्य न्यूनतम मानकों को परिभाषित करती है जिसका हम अपने आपूर्तिकर्ताओं और उनके अधीन के आपूर्तिकर्ताओं ("आपूर्तिकर्ता") को नेस्ले से व्यापार करते समय आदर करने और पालन करने के लिए कहते हैं। यह दस्तावेज अन्तरराष्ट्रीय मानकों जैसे कि बहुराष्ट्रीय उद्योगों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश, व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशक सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का मूल समझौता, और संयुक्त राष्ट्र वैश्विक करार के 10 सिद्धान्तों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को, हमारे खुद के संचालनों से परे, हमारी धारा के विरुद्ध आपूर्ति चेन की प्रत्येक कड़ी तक जो खेतों और पौधारोपण तक जाती है, लागू करना जारी रखने में मदद करता है। संहिता हमारे नेस्ले कार्पोरेट बिजनेस प्रिंसिपिल्स और हमारे रिस्पांसिबिल सोर्सिंग प्रोग्राम जो अनुपालन खण्ड में रेखांकित किया गया है की नींव का एक विस्तार है।

2. प्रयोजन
संहिता के मानक उन आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपेक्षाएं प्रस्तुत करते हैं, जिनके साथ नेस्ले व्यवसाय करती है, जिनमें उनकी मातृ, सब्सिडियरी या संबद्ध निकाय शामिल हैं, साथ ही उन सभी अन्यों के लिए भी जिनके साथ वे आपूर्तिकर्ता व्यवसाय करते हैं, जिनमें सभी कर्मचारी (स्थायी, अस्थायी, अनुबंध एजेंसी और प्रवासी श्रमिकों सहित), अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ता तथा अन्य तृतीय पक्ष शामिल हैं। यह आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए अपने कर्मचारियों, एजेंटों और उप आपूर्तिकर्ताओं, और प्रासंगिक होने पर किसानों में इसका विस्तार करे, उन्हें शिक्षित करे और इसे कर्मठता के साथ अमल में लाए।

3. अनुपालन
नेस्ले आपूर्तिकर्ता से उम्मीद करता है कि वह लागू होने योग्य सभी कानूनों और विनियमों का, और खासतौर पर यहां वर्णित स्तम्भों के लिए, पालन करे , और अन्तरराष्ट्रीय एवं उद्योग मानकों एवं उनके सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के अनुपालन के लिए तत्पर रहें। इसके अतिरिक्त, इसके रिस्पांसिबिल सोर्सिंग प्रोग्राम के जरिये, नेस्ले आन्तरिक और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रियाओं के द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि का अधिकार रखता है और ऑडिट की जरूरतों अथवा संपूरक रिस्पांसिबिल सोर्सिंग गाइडलाइनकी दिशा में प्रगति के क्रियान्वयन की आवश्यकता महसूस करता है।

4. सतत सुधार
नेस्ले मानता है कि इस संहिता में स्थापित मानकों को प्राप्त करना एक गतिशील प्रक्रिया है और इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि आपूर्तिकर्ता उनके कार्यों में सुधार करें। आवश्यक सुधार,अथवा लघुधारकों, या किसानों से प्रत्यक्ष सोर्सिंग के मामले में, नेस्ले उन कार्यों को सतत अपग्रेड करना सुनिश्चित करने के लिए मील का पत्थर और प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं कर पाना नस्ले के साथ व्यवसाय करने में आपूर्तिकर्ता की योग्यता पर सीधा असर डालेगा।

5. प्रयोग
संहिता की स्वीकृत आपूर्ति के लिए नेस्ले के प्रत्येक अनुबन्ध में पूर्व शर्त है। क्रय आदेश के माध्यम से, संहिता के लिए संदर्भ बनाते समय, आपूर्तिकर्ता स्वीकार करता है कि उसके सभी संचालन इस संहिता में मौजूद प्रावधानों के अनुरूप हैं। यह संहिता, या इसके अनुपालन का प्रदर्शन, आपूर्तिकर्ता के लिए किसी तीसरे पक्ष के लाभ वाले अधिकार की व्यवस्था नहीं करता। संहिता के मानक आपूर्तिकर्ताओं और नेस्ले के बीच किसी भी कानूनी समझौते अथवा अनुबंध के अतिरिक्त हैं, उसके बदले में नहीं।

नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता के 4 स्तंभ

1. मानवाधिकार
नेस्ले संयुक्त राष्ट्र की संरचना और व्यावसाय एवं मानवाधिकारों पर दिशानिर्देशक सिद्धान्तों का पूरी तरह समर्थन करता है और आपूर्तिकर्ता से यह उम्मीद करता है कि वह अपने व्यावसायिक गतिविधितियों के दौरान श्रम अधिकारों सहित सभी मानवाधिकारों का सम्मान करे। न्यूनतम:

संगठन बनाने और सामूहिक मोलभाव की स्वतंत्रता
आपूर्तिकर्ता को अपने कर्मचारियों को लागू होने योग्य सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप संघ बनाने और सामूहिक मोलभाव करने की स्वतंत्रता देना चाहिए।

जबरिया मजदूरी
जबरिया मजदूरी पर आईएलओ सम्मेलन नंबर 29 और जबरन मजदूरी उन्मूलन पर आईएलओ सम्मेलन नंबर 105 के तहत आपूर्तिकर्ता को किसी भी परिस्थिति में जबरन मजदूरी नहीं कराना चाहिए, या किसी अन्य तरीके से उसका लाभ नहीं लेना चाहिए। जबरिया मजदूरी का मतलब है अनुबंधित दासता का कोई भी रूप जैसे कि शारीरिक दण्ड देना, कैद, अनुशासन के तौर पर हिंसा की धमकियां देना अथवा नियंत्रण जैसे कि रोजगार की शर्त पर कर्मचारियों का पहचान पत्र, पासपोर्ट, वर्क परमिट अथवा जमा राशि रखवा लेना। जहां आपूर्तिकर्ता प्रवासी अथवा बंधुआ मजदूरों को एक कानूनी दायरे के भीतर इस्तेमाल कर रहा है, नेस्ले को आपूर्तिकर्ता द्वारा रखे गए उपयुक्त दस्तावेज की समीक्षा के लिए जागरूक अवश्य रहना चाहिए।

रोजगार आचरण
आपूर्तिकर्ता केवल उन्हीं श्रमिकों को रोजगार देगा जो उनके कार्यस्थल पर काम करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हों और उपयुक्त लिखित प्रमाण के जरिए काम करने के लिए कर्मचारी की आहर्ता के प्रमाण के जिम्मेदार हों। सभी काम स्वैच्छिक होंगे, और श्रमिक काम छोड़ने अथवा उचित सूचना पर अपने रोजगार से बर्खास्त किए जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। संभावित कार्य हर कीमत पर राष्ट्रीय कानून और आचरण के जरिए स्थापित मान्यताप्राप्त रोजगार संबंध के आधार पर ही किया जाना चाहिए। नियमित रोजगार संबंध से पैदा होने वाले श्रम अथवा सामाजिक सुरक्षा कानूनों और विनियमों के तहत कर्मचारियों के प्रतिदायित्वों से केवल अनुबंध, उप-अनुबंध, घरेलू कार्य व्यवस्थाओं वाले श्रम के प्रयोग के द्वारा, अथवा ऐसी प्रशिक्षण योजनाओं के द्वारा जिनमें कौशन प्रदान करने का वास्तविक अभिप्राय नहीं हो, बचा नहीं जाएगा, ना ही रोजगार के सावधि अनुबंधों के अत्यधिक प्रयोग के द्वारा इस प्रकार के किन्हीं दायित्वों से बचा जाएगा। थर्ड पार्टी श्रम एजेंसियों के माध्यम से रोजगार के मामले में आपूर्तिकर्ता *निजी रोजगार एजेंसियों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन नंबर 181*का अनुपालन करेगा।

रोजगार के लिए न्यूनतम आयु
न्यूनतम आयु पर आईएलओ सम्मेलन 138, और बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के खात्मे पर सम्मेलन 182 के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा बाल श्रम का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है। न्यूनतम आयु पर आईएलओ सम्मेलन 138 कहता है कि 15 वर्ष (अथवा कुछ विकसित देशों में 14 वर्ष) से कम आयु के किसी भी बालक को काम करने की अनुमति नहीं है, इसमें आईएलओ अथवा राष्ट्रीय कानून द्वारा दी गयी स्वीकृत अपवाद हो सकती है। यदि आपूर्तिकर्ता युवा श्रमिकों को रोजगार देता है, तो उसे यह प्रदर्शित करना होगा कि युवा लोगों को रोजगार उन्हें किसी अनुचित जोखिम में नहीं डालता जो उनके शारीरिक, मानसिक, आथवा भावनात्मक विकास को नुकसान पंहुचाए।

निष्पक्ष एवं समान व्यवहार
अपने कर्मचारियों से आचरण के मामले में आपूर्तिकर्ता को गरिमा, सम्मान और ईमानदारी के साथ काम करना होगा:

- भेदभाव पर आईएलओ सम्मेलन नंबर 111 के अनुसार आपूर्तिकर्ता नौकरी देने और रोजगार आचरण में इन मानदण्डों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा जैसे कि नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, आयु, शारीरिक योग्यता, राष्ट्रीय मूल, यौन रुझान, राजनीतिक जुड़ाव, संघ की सदस्यता, चिकित्सा जांचों, अथवा वैवाहिक स्थिति।
- मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौन अथवा मौखिक दुर्व्यवहार, डर, धमकी अथवा उत्पीड़न का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
- आपूर्तिकर्ता को निजी सूचना एकत्र करने अथवा कर्मचारी निगिरानी आचरण अमल में लाते समय कर्मचारियों के निजी अधिकारों का सम्मान करना

होगा।
अपने कर्मचारियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष अथवा अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षाकर्मी निष्पक्ष और समान आचरण पर वही मानदण्ड लागू करें।

काम का समय और विश्राम के दिन
आपूर्तिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी नियमित काम के घंटे, और ओवरटाइम के घंटे, जिसमें अन्तराल, आराम के घंटे, छुट्टियां और मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश शामिल हैं, से संबंधित सभी लागू होने योग्य कानूनों और अनिवार्य उद्योग मानकों के अनुपालन में काम करें। कानून नहीं होने पर, आपूर्तिकर्ता 60 घंटे से ज्यादा नियमित कार्य सप्ताह नहीं चाहेगा, लगातार छह दिन काम करने के बाद कर्मचारियों को कम से कम एक दिन की छुट्टी देनी होगी, और कोई भी ओवरटाइम काम स्वैच्छिक होगा और प्रीमियम दर पर उसका भुगतान करना होगा।

वेतन और लाभ
आपूर्तिकर्ता के कर्मचारियों को मजदूरी और परिलाभ उपलब्ध कराना होगा जो, न्यूनतम राष्ट्रीय कानूनों अथवा उद्योग मानकों जो भी ज्यादा हैं, के अनुरूप हो, साथ ही सामूहिक समझौतों को बांधता हो जिसमें वो समझौते भी शामिल हैं जो ओवरटाइम काम और अन्य प्रीमियम भुगतान व्यवस्थाओं से संबंधित हैं। किसी भी स्थिति में, मजदूरी हमेशा इतनी होनी चाहिए जो कर्मचारियों, और उनके हकदार आधिकारिक आश्रितों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, और कुछ स्वनिर्णयगत आय उपलब्ध कराए। आपूर्तिकर्ता को अनुशासनात्मक अथवा वेतन से कटौती के किसी अन्य रूप को लागू नहीं करना चाहिए ना ही रोजगार और पारिश्रमिक भुगतान में भेदभाव का कोई रूप लागू करना चाहिए।

2. सुरक्षा और स्वास्थ्य
नेस्ले उम्मीद करता है कि आपूर्तिकर्ता संचालन और प्रबंधन प्रणाली, साथ ही कर्मचारी, कार्य-संबंधित चोटों और बीमारियों की रोक थाम के लिए काम करे।

कार्यस्थल का परिवेश
आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को काम का सुरक्षित और स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराएगा। न्यूनतम. पेयजल, समुचित प्रकाश व्यवस्था, तापमान, वेंटिलेशन, साफ-सफाई, और निजी रक्षात्मक उपकरण से लैस कार्यस्थल उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, लागू होने योग्य कानूनों और विनियमोंद्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप सुविधाएं बनायी और बरकरार रखी जानी चाहिए।

आवासीय स्थितियां और निजिता का सम्मान
आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली डॉरमिटिरी सुविधाएं लागू होने योग्य सभी कानूनों और विनियमों के अनुरूप स्थापित और उनकी देखरेख की जानी चाहिए, और उन्हें स्पष्ट तौर पर कारखाना और उत्पादन क्षेत्र से अलग होना चाहिए। सभी डॉरमिटिरी भवन साफ और सुरक्षित होंगे और कर्मचारी किसी भी समय डॉरमिटिरी भवनों में स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वहां स्वच्छ शौचालय, पेयजल की सुविधा, और भोजन पकाने और उसके भंडारण की साफ-सुथरी सुविधाएं होंगी। सभी डॉरमिटिरी सुविधाएं कर्मचारियों को उचित व्यक्तिगत स्थान, पर्याप्त गर्मी और हवा और साफ सुथरे शॉवर और स्नानागर उपलब्ध कराएंगी।

आपात स्थिति की तैयारी
आपूर्तिकर्ता को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। इसमें कर्मचारियों की अधिसूचना और निकासी की प्रक्रियाएं, आपातकालीन प्रशिक्षण और अभ्यास, उचित प्राथमिक चिकित्सा आपूर्ति, आग का पता लगाने और उसपर काबू पाने के उचित उपकरण, तथा बाहर निकलने की समुचित व्यवस्थाएं शामिल हैं। आपूर्तिकर्ता नियमित रूप से कर्मचारियों को आपातकालीन योजना, जवाबदेही के साथ चिकित्सकीय देखभाल का प्रशिक्षण दिलाएगा।

उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा
आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए सभी उत्पाद तथा सेवाएं लागू होने वाले कानून के तहत गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। नेस्ले के साथ अथवा उसकी तरफ से व्यवसाय करते समय, आपूर्तिकर्ता को नेस्ले गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

3. पर्यावरणीय वहनीयता
नेस्ले अपने आपूर्तिकर्ता से चाहता है कि वह सभी लागू कानूनी पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करे और इसके पर्यावरणीय प्रदर्शन में सतत सुधार प्रदर्शित करे।

पर्यावरणीय परमिट और रिपोर्टिंग
आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय कानूनी शिकायत होने की स्थिति में वह सभी आवश्यक पर्यावरणीय अनुमतियों और पंजीयनों के रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों को अपने पास रखे, उन्हें चालू हालत में रखे और उनका पालन करे।

पर्यावरणीय प्रबंधन व्यवस्था
आपूर्तिकर्ता महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों को पहचानने, उसपर नियंत्रण करने और उसे हल्का करने के लिए बने प्रासंगिक पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली (अन्तर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि ISO 14001:2004 पर आधारित) का प्रलेखन और उसे लागू करेगा।

खतरनाक सामग्रियां और उत्पाद सुरक्षा
आपूर्तिकर्ता खतरनाक सामग्रियों, रसायनों और पदार्थों की पहचान और उनका सुरक्षित प्रबंधन, चालन, भण्डारण, रीसाइक्लिंग, पुनर्उपयोग और निपिटारा सुनिश्चित करेगा। खतरनाक सामग्रियों, रसायनों और पदार्थों से संबंधित सभी लागू कानूनों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता लागू कानूनों और विनियमों द्वारा स्थापित सामग्री प्रतिबंधों और उत्पाद सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमुख कर्मचारी उत्पाद सुरक्षा आचरणों से परिचित और प्रशिक्षित हों।
संसाधन खपत, प्रदूषण निवारण और अपशिष्ट

न्यूनीकरण
आपूर्तिकर्ता ऊर्जा और पानी सहित प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग करेगा। आपूर्तिकर्ता प्रदूषण रोकने और ठोस अपशिष्ट, जल अपशिष्ट और वायु उत्सर्जन का उत्पादन न्यूनतम करने के लिए ठोस तरीके लागू और उसका प्रदर्शन करेगा। फेंकने अथवा निपिटान से पहले आपूर्तिकर्ता उचित तरीके और लागू कानूनों व विनियमों के अनुसार अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट का वर्गीकरण और शोधन करेगा।

4. व्यवसायिक सत्यनिष्ठा
नेस्ले चाहता है कि आपूर्तिकर्ता सभी लागू नैतिक व्यवसाय कानूनों और विनियमों का उन देशों में अनुपालन करे जहां से सामग्रियां लाई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं और नेस्ले उत्पाद में मिलाई जाती हैं ("उपयोग का देश")। सेवाओं के मामले में, सेवा मुहैया कराने का स्थान प्रचलित होना चाहिए।

घूस विरोधी
किसी तीसरे पक्ष से, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी,व्यवसाय हासिल करने अथवा उसे कायम रखने या अन्य लाभ लेने के क्रम में आपूर्तिकर्ता को कभी भी, प्रत्यक्ष अथवा मध्यस्थों के जरिए, किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ की पेशकश या वादा नहीं करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता न तो घूस देगा और न ही लेगा, रिश्वत की व्यवस्था अथवा उसे स्वीकार नहीं करेगा और यू.एस.फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज और यूके ब्राइबरी ऐक्ट्स सहित लागू किसी भी घूस विरोधी कानून और विनियमों के उल्लंघन का कोई काम नहीं करेगा, अथवा अपने व्यवसायिक सहयोगियों को उल्लंघन करने का मौका नहीं देगा।

शिकायत संबंधी व्यवस्थाएं
आपूर्तिकर्ता को स्थान पर गुमनाम शिकायतों, रिपोर्टिंग और प्रबंधन से युक्त प्रणाली रखनी होगी। एक नामित अधिकारी शिकायत तंत्र पर सतत निगरानी रखेगा, उठाए गए मुद्दों का रिकॉर्ड रखेगा और गोपनीय तरीके से उचित कार्रवाई करेगा।

रिकॉर्ड्स
आपूर्तिकर्ता लागू सामग्रियों, सेवाओं, सरकारी और उद्योग के विनियमों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए पारदर्शी और आद्यतन किताबें और रिकार्ड्स रखेगा।

मूल
आपूर्तिकर्ता की गई डिलीवरी से जुड़ा प्राथमिक मूल (मूल देश) के सभी संभावित स्रोतों के खुलासे में सक्षम होगा। अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए नेस्ले को, किसी खास समय, आपूर्तिकर्ताओं को मूल की तरफ लौटते हुए पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का नक्शा तैयार करने को कहने का अधिकार है।

बौद्धिक संपदा
आपूर्तिकर्ता अपने व्यवसाय भागीदारों के स्वामित्व की जानकारी की सुरक्षा और इसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाएगा और ऐसी सूचना का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेगा जो अनुबंधात्मक समझौते द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत हैं। उप-अनुबंध करने के मामले में, गोपनीय सूचना नेस्ले की सहमति से साझा किया जाना चाहिए।

हितों का टकराव
आपूर्तिकर्ता से यह उम्मीद की जाती है कि वह हितों के टकराव की कोई भी स्थिति पैदा होने पर नेस्ले को रिपोर्ट करेगा, और यदि कोई नेस्ले कर्मचारी या नेस्ले के साथ अनुबंध के तहत कोई पेशेवर आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय में हित साधे अथवा आपूर्तिकर्ता के साथ किसी प्रकार का आर्थिक संबंध रखे तो वह इसका खुलासा नेस्ले के समक्ष करेगा।

अतिरिक्त मानक
- नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता के अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ता किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता जैसे कि लागू सामग्रियां और दी गई सेवाएं और खास तौर पर रिस्पांसिबल *सोर्सिंग दिशानिर्देश* के लिए बाध्य है, उदाहरण के तौर पर पशु कल्याण अथवा भूमि अधिकार।
- खेतों से सीधे *आपूर्ति* के मामले में, लागू *अच्छे कृषि व्यवहार* किसान द्वारा किए जाएंगे ताकि संहिता का *अनुपालन सुनिश्चित हो। कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन और जलोपज मूल की सामग्रियों के लिए नेस्ले रिस्पांसिबल सोर्सिंग* दिशानिर्देश नेस्ले एग्रीकल्चरल सर्विस टीमों की मदद से प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों के बारे में अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

अगले चरण

I. उल्लंघनों की रिपोर्टिंग
आपूर्तिकर्ता विनियमों, कानूनों और संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के संदेह की सूचना देगा। उल्लंघनों की रिपोर्ट नेस्ले संपर्क व्यक्ति को की जानी चाहिए, अथवा इसकी रिपोर्ट उपलब्ध चैनलों में से किसी एक का उपयोग करते हुए गोपनीय तरीके से की जा सकती है:

वेब URL:	www.nestle.com/tell-us
हॉटलाइन पर हमें बताएं:	देश के स्थानीय फोन नंबर www.nestle.com/tell-us पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
स्विट्जरलैंड:	+41 800 56 14 22
एक्सेस कोड:	11021

II. आपूर्तिकर्ता की पावती (यदि नेस्ले क्रय संगठन की आवश्यकता हो)
हम, अधोहस्ताक्षरी इस बात की पुष्टि करते हैं कि:
- हमें नेस्ले एस.ए. द्वारा प्रकाशित नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता 2013 मिल चुकी है और इसकी सामग्री को हमने पर्याप्त ध्यान में रख लिया है,
- जिन देशों में हमारी कंपनी संचालित होती है वहां के सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से हम परिचित हैं,
- संहिता के उल्लंघन के संदेह के किसी भी मामले को हम नेस्ले एस.ए. को रिपोर्ट करेंगे,
- हम विकास उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित और संशोधन और रद्द किए बगैर नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।
- हम अपने सभी कर्मचारियों / उप ठेकेदारों को नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता की सामग्री की जानकारी देंगे, और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें शामिल प्रावधानों का अनुपालन करें।

हम नेस्ले आपूर्तिकर्ता संहिता सामग्री के अनुपालन की पुष्टि के लिए यहां नेस्ले एस.ए. अथवा नेस्ले एस.ए. की ओर से कार्य कर रहे किसी भी संगठन को अधिकृत करते हैं कि वह किसी भी समय हमारे परिसरों और हमारे उपठेकेदारों के परिसरों में सूचना देकर अथवा बगैर सूचना के ऑडिट करे।

कंपनी का नाम

हस्ताक्षर　　　　　　　　　　कंपनी का स्टाम्प/मुहर

नाम और शीर्षक

कंपनी का व्यवसाय पंजीयन / वैधानिक आईडी / कोड / संख्या

तिथि और स्थान

यह दस्तावेज आपूर्तिकर्ता के किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और आग्रहकर्ता नेस्ले खरीद संगठन को लौटा देना चाहिए।